कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/नि.प्रको/नियु–2/982/शिक्षक भर्ती/पार्ट–II/लेवल–I/18 दिनांकः 14-7-18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त जिला परिषद,

विषय :– राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल प्रथम अन्तर्गत की गई काउंसलिंग का जिला स्थापना समिति से अनुमोदन करवाने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 11–06–2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त भर्ती अन्तर्गत नवचयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरान्त काउंसलिंग/ पदस्थापन हेतु सूचियां आपको उपलब्ध करवाई गई थी राज्य सरकार के पत्र दिनांक 08–06–18 के अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कार्यवाही हेतु जारी कलेन्डर के अनुसार आप द्वारा नवचयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करवाये जाकर पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई गई है।

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 11–06–2016 के बिन्दु संख्या 31 में यह स्पष्ट अंकित है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन सिविल याचिका सख्या 9603/18 विवेक कुमार बनाम सरकार व 9314/18 महेन्द्र कुमार जाटोलियां बनाम सरकार में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 31–05–2018 के क्रम में नवचयनित अभ्यर्थियों के केवल दस्तावेज सत्यापन/ काउंसलिंग की कार्यवाही कारवाई जावें। साथ ही यह भी लिखा गया था कि इन नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति/ पदस्थापन के आदेश जारी नहीं किये जाये।

राज्य सरकार द्वारा जारी कलेन्डर के अनुसार आप द्वारा पात्र पाये गये नवचयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई गई है। ***अतः आप दिनांक 25–07–2018 से पूर्व काउंसलिंग कार्यवाही का जिला स्थापना समिति से अनुमोदन करवा लेवें। किसी भी नवचयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति/ पदस्थापन प्रदान नहीं किया जायें।***

उक्त नवचयनित अभ्यर्थियों नियुक्ति/ पदस्थापन के संबंध में आपको माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा उक्त सिविल याचिकाओं में आगामी पारित होने वाले निर्णय उपरान्त पृथक से अवगत करवाया दिया जायेगा। ***अतः वर्तमान में उक्त भर्ती अन्तर्गत किसी भी नवचयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति/ पदस्थान प्रदान नहीं किया जावें।***

14/7/2018
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
2 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विधि जोधपुर / जयपुर
3 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4 कार्यालय प्रति

14/7/2018
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर